न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 01/2023 तारीख रजू:– 13.01.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. बाबू खां | पिसरान सम्पत जाति मुसलमान निवासी सिंघान मीना
2. इस्लाम | तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान लैण्ड होल्डर/तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 372 रकवा 5 बीघा 1 विस्वा व खसरा नम्बर 343 रकवा 3 बीघा 3 विस्वा कि जिसके बाद सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 786 रकवा 0.14 है0, 823 रकवा 0.01 है०, खसरा नम्बर 824 रकवा 0.23 है0, 825 रकवा 0.12 है0, 826 रकवा 0.13 है0, 827 रकवा 0.17 है0, 828 रकवा 0.14 है0, 829 रकवा 0.26 है0, 830 रकवा 0.05 है0, 831 रकवा 0.18 है०, कुल किता 10 कुल रकवा 1.43 है० बने है कि जो ग्राम सिंघान मीना, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली, (राज०) में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि आवेदकगण मृतक सांवलिया पुत्र गनेश की संतति है कि जिसके सजरा में अंकित किया है कि सांवलिया के चार पुत्र मांगी, सम्पत, जुम्मा, सेडू, तथा मांगी के एक पुत्र ननुआ, सम्पत के दो पुत्र बाबू खॉ, इस्लाम, जुम्मा के पांच पुत्र कल्ला, कमरू, सफी, मोहम्मद, बबलू तथा सेडू के एक पुत्र किरोडी, तथा किरोडी के चार पुत्र निजामुद्दीन, ईदू, हमीदअली, हुसैन हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 372 मुताबिक जमाबंदी संवत 2026–29 सांमलिया पुत्र गणेश जाति तेली के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, सांमलिया की मृत्यु के पश्चात मुताबिक जमाबंदी संवत 2030–33 उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर की खातेदारी उसके पुत्रगण मांगी, सम्पत, जुम्मा, पिसरान् सांमलिया हिस्सा 3/4 व किरोडी पुत्र सेडू हिस्सा 1/4 कॉम तेली दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 मे दर्ज किया है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 372 रकवा 5 बीघा 1 विस्वा संवत 2038–41 की जमाबंदी में अंकन मांगी, सम्पत, जुम्मा पिसरान सांमलिया हिस्सा 3/4 किरोडी पुत्र सेडू हिस्सा 1/4 जाति तेली निवासी ग्राम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है परन्तु आवेदकगण के पिता सम्पत के नाम में त के स्थान पर अक्षर त को इस प्रकार लिखा गया है कि वह त तथा न जैसा प्रतीत हो रहा है, कि जिसके कारण इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड आवेदकगण के पिता का नाम सम्पत के स्थान पर सम्पन पुत्र सांवल्या दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में होता चला आ रहा है जबकि आवेदकगण के पिता का नाम सम्पन नहीं होकर सम्पत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि आवेदकगण के पिता सम्पत का दिनांक 09.09.2009 को व माता भौरी का दिनांक 17.04.2017 ग्राम सिंघान मीना में को देहावसान हो गया है, आवेदकगण सम्पत के कानूनी वारिसान है, और उसके तर्क पर काबिज व दखिल है, आवेदकगण के शैक्षणिक दस्तावेज बैंक पासबुक, फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि में आवेदकगण के पिता का नाम सम्पत ही दर्ज है, आवेदकगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी सम्पत के नाम से ही जारी हुआ है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही/ कदाचार व लिपीकीय भूल के कारण आवेदकगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सम्पन दर्ज कर दिये जाने से आवेदकगण के पिता की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में आवेदकगण का नाम दर्ज नही हो पा रहा है, कि जिससे आवेदकगण को अकथनीय क्षति पहुँच रही है, और आगे भी पहुँचने की संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 मे दर्ज किया है कि भूमि वर्णित मद नम्बर 1 प्रार्थनापत्र के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में आवेदकगण के पिता का नाम सम्पन पुत्र सांवल्या के स्थान पर सम्पत पुत्र सावलिया उर्फ सावंल्या शुद्ध राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से अप्रार्थी सरकार व अन्य को कोई किसी भी प्रकार की हानि व क्षति होने की कोई संभावना नहीं है जबकि शुद्ध नही किये जाने पर आवेदकगण को भारी क्षति हो रही है। इस कारण आवेदकगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक एव न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 मे दर्ज किया है कि आवेदकगण द्वारा अपने पिता के नाम को सही करवाने बाबत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 23.11.2022 को अप्रार्थी श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष पेश किया तो तहसीलदार साहब द्वारा प्रार्थनापत्र को अपने पास रख लिया और प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध करने की मना कर दी और कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाओ तब ही अशुद्ध नाम शुद्ध होगा इस कारण उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यकीय हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 मे दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एलआर एक्ट के तहत निश्चित कोर्टफीस पर अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 मे दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र की समाअत व सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 प्रार्थनापत्र में दर्ज भूमि के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता गलत दर्ज नाम सम्पन को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही नाम सम्पत दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे, तथा अमल दरामद हेतु तहरीर अप्रार्थी तहसीलदारजी हिण्डौन को जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए और ना ही उन्होंने कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं0 2026–29, नकल जमाबन्दी सं0 2030–33, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 2316/2009, जारी दिनांक 28.06.2018, मृत्यु दिनांक 09.09.2009 सम्पत पुत्र सांवलिया निवासी सिंघान मीना तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 219/2017, जारी दिनांक 28.06.2018, मृत्यु दिनांक 17.04.2017 भौरी पुत्री सम्पत निवासी सिंघान मीना तहसील हिण्डौन, नकल मतदाता सूची हिण्डौन (86) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1993 भाग संख्या 152 ग्राम सिंघान मीना की क्रम सं0 450 मकान नं0 115 पर सम्पत पुत्र सामलिया पु0 उम्र 65 साल, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 786 रकबा 0.14 है0, 823 रकबा 0.01 है0, 824 रकबा 0.23 है0, 825 रकबा 0.12 है0, 826 रकबा 0.13 है0, 827 रकबा 0.17 है0, 828 रकबा 0.14 है0, 829 रकबा 0.26 है0, 830 रकबा 0.05 है0, 831 रकबा 0.18 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम सिंघान मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी जुम्मा पुत्र सांवल्या हि0 3/8, निजामुद्दीन पुत्र किरोडी हि0 1/4, सम्मन पुत्र सांवल्या हि0 3/8 जाति तेली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
372	5 बीघा 1 बिस्वा	786	0.14
372 मिन	—	823	0.01
372 मिन	—	824	0.23
372 मिन	—	825	0.12
372 मिन 343 मिन	— —	826	0.13
372 मिन 343 मिन	— —	827	0.17
372 मिन	—	828	0.14
372 मिन	—	829	0.26
372 मिन	—	830	0.05
372 मिन	—	831	0.19

नकल जमाबन्दी सं0 2026–29 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 12 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 123 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 124 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 372 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, वाके ग्राम सिंघान तहसील हिण्डौन की खातेदारी सामलिया पुत्र गनेश जाति तेली निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2030–33 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 12 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 123 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 124 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 372 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, वाके ग्राम सिंघान तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन की खातेदारी मांगी सम्पत जुम्मा पि0 सावलिया हि0 3/4, किरोडी पुत्र सेडू हि0 1/4 कौम तेली सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 12 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 123 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 124 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 372 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, वाके ग्राम सिंघान तहसील हिण्डौन की खातेदारी मांगी सम्पन जुम्मा पि0 सावलिया हि0 3/4, किरोडी पुत्र सेडू हि0 1/4 कौम तेली सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 2316/2009, जारी दिनांक 28.06.2018, मृत्यु दिनांक 09.09.2009 सम्पत पुत्र सांवलिया निवासी सिंघान मीना तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 219/2017, जारी दिनांक 28. 06.2018, मृत्यु दिनांक 17.04.2017 भौरी पुत्री सम्पत निवासी सिंघान मीना तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

नकल मतदाता सूची हिण्डौन (86) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1993 भाग संख्या 152 ग्राम सिंघान मीना की कम सं0 450 मकान नं0 115 पर सम्पत पुत्र सामलिया पु0 उम्र 65 साल, के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 786 रकबा 0.14 है0, 823 रकबा 0.01 है0, 824 रकबा 0.23 है0, 825 रकबा 0.12 है0, 826 रकबा 0.13 है0, 827 रकबा 0.17 है0, 828 रकबा 0. 14 है0, 829 रकबा 0.26 है0, 830 रकबा 0.05 है0, 831 रकबा 0.18 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम सिंघान मीना तहसील हिण्डौन में खातेदारी के कॉलम में सम्मन पुत्र सांवल्या हि0 3/8 जाति तेली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2030–33 में प्रार्थीगण के पिता का नाम सम्पत पुत्र सांवलिया जाति तेली दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के द्वारा पेश किये गये अन्य दस्तावेजी सबूतों के आधार पर भी प्रार्थीगण के पिता का नाम सम्पत पुत्र सांवलिया है। प्रार्थीगण के पिता सम्पत पुत्र सांवलिया की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम सम्मन पुत्र सांवल्या के स्थान पर सम्पत पुत्र सांवलिया दुरूस्त कराने के अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 786 रकबा 0.14 है0, 823 रकबा 0.01 है0, 824 रकबा 0.23 है0, 825 रकबा 0.12 है0, 826 रकबा 0.13 है0, 827 रकबा 0.17 है0, 828 रकबा 0.14 है0, 829 रकबा 0.26 है0, 830 रकबा 0.05 है0, 831 रकबा 0.18 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम सिंघान मीना तहसील हिण्डौन में खातेदारी के कॉलम में सम्मन पुत्र सांवल्या हि0 3/8 जाति तेली सा0देह खातेदार के स्थान पर सम्पत पुत्र सांवलिया हि0 3/8 जाति तेली सा0देह खातेदार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली